'पुलिस सेवा जनता के विश्वास और संवेदनशीलता पर आधारित'

- प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए किया गया प्रेरित
- नियुक्ति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के तहत आरक्षियों का प्रशिक्षण शुरू

जासं ● श्रावस्तीः पुलिस लाइन में नियुक्ति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के तहत प्रशिक्षु आरक्षियों के प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। एसपी घनश्याम चौरसिया ने कहा कि पुलिस सेवा न केवल कर्तव्य, अनुशासन और जिम्मेदारी का प्रतीक है, बल्कि यह जनता के विश्वास और संवेदनशीलता पर आधारित सेवाभाव भी है।

एसपी ने पुलिस संगठन के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संस्थागत विकास, स्वतंत्रता पूर्व व पश्चात यूपी पुलिस की संरचना, भूमिका, वर्तमान में पुलिसिंग की बदलती चुनौतियों व जन अपेक्षाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रशिक्षुओं को गुणवत्तापरक प्रशिक्षण प्राप्त करने, कर्तव्यों के प्रति सजग रहने व मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील बने रहने के लिए प्रेरित किया। एसपी ने कहा कि प्रशिक्षुओं को विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सैद्धांतिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें आरक्षियों के कर्तव्य व शक्तियां, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली का सामान्य परिचय, संपत्ति संबंधी नियम, भारतीय संविधान के अनुसार मूल कर्तव्य, आचरण की मर्यादा, मानवाधिकारों की अवधारणा, लैंगिक संवेदनशीलता, महिला पुलिस की भूमिका, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, पुलिस आचरण में पूर्वाग्रह व रूढ़िवादिता का प्रभाव तथा पुलिस कार्य में नैतिकता व जवाबदेही जैसे विषय शामिल हैं। एसपी ने बताया कि 129 प्रशिक्षु आरक्षी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इनमें अंबेडकरनगर जिले से 105 पुरुष आरक्षी व लखनऊ से 24 महिला आरक्षी शामिल हैं। प्रतिसार निरीक्षक अखिलेश कुमार मौजूद रहे।

पुलिस लाइन में आयोजित प्रशिक्षण में मौजूद प्रशिक्षु महिला-पुरुष आरक्षी ● जागरण

जिले की महत्वपूर्ण खबरें
www.jagran.com पर पढ़ें

विवेचना की गुणवत्ता ही आधारशिला

श्रावस्ती, संवाददाता। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत शनिवार को पॉक्सो अधिनियम संबंधित विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन पुलिस लाइन स्थित लवकुश सभागार में हुआ जिसमें विवेचना समेत कई अहम मुद्दों पर जानकारी साझा की गई।

पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने कहा कि विवेचना की गुणवत्ता ही किसी प्रकरण के निष्पक्ष न्याय की आधारशिला है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक पॉक्सो केस में त्वरित, संवेदनशील व प्रमाणिक विवेचना की जाय जिससे अभियोजन पक्ष को सशक्त रूप से न्यायालय में प्रस्तुत करने में सहायता मिले। वहीं अपर सत्र न्यायाधीश निर्दोष कुमार ने पॉक्सो प्रकरणों की न्यायिक दृष्टिकोण से विवेचना की प्रमुख आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हर मामले में साक्ष्य एकत्र करने की वैज्ञानिकता, पीड़ित की सुरक्षा और न्यायालय में सटीक प्रस्तुतिकरण ही दोषसिद्धि की कुंजी है। इस दौरान पॉक्सो प्रकरणों से संबंधित मूल्यवान केस स्टडीज, जांच की त्रुटियां, साक्ष्य संकलन की वैज्ञानिक विधियां, पीड़िता के कथन की महत्ता व न्यायालय में अभ्यावेदन की रणनीति पर विशेषज्ञों की ओर से जानकारी दी गई। कार्यशाला में सीओ इकौना सतीश कुमार शर्मा, सीओ भिनगा आलोक कुमार सिंह आदि अधिकारी मौजूद रहे।

जागरूकता शिविर में मौजूद एसपी व अन्य अधिकारी।